

# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

## आदेश

धारा - 107 दं०प्र०सं०  
वाद सं०- 147 / 2021-22

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/7/22	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी संख्या 08/2022 दिनांक 09.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष अपरदीप एक्का उम्र करीब 42 वर्ष, पिता- स्व० मिखाईल एक्का, ग्राम- कुम्हारी, थाना-बसिया, जिला- गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) इलियाजर तोपनो उम्र करीब 46 वर्ष, (2) देवनिश तोपनो, उम्र करीब 44 वर्ष, दोनों पिता- स्व० इग्नेश तोपनो, ग्राम- कुम्हारी, थाना-बसिया, जिला- गुमला के बीच मौजा कुम्हारी के खाता सं० 26 प्लॉट सं० 1068, रकबा 0.21½ एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अंशाति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया।</p> <p>उभय पक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए एवं कारण वृच्छा दाखिल किये हैं।</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी, बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि हो चुकी है।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच शांति भंग नहीं होने की सूचना एवं वाद की समय अवधिक समाप्त होने कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकार, बसिया (गुमला)</p> <p>अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)</p>	